



मौलाना मज़हूरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय
مولانا مظهرالحق عربى و فارسى يونيورسٲى، پٲنه
Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna

Ref. F-1781/25, RE-837/25

Date 27/08/25

सेवा में,

निर्देशक / सचिव
R.S Vidhyapeeth
Patna, Bihar- 801503

विषय:- स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके संस्थान से प्राप्त आवेदन पर निरीक्षण दल के प्रतिवेदन एवं AICTE से प्राप्त LoA के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सत्र 2025-26 से निम्नलिखित विषय में अगले आदेश तक निम्न रूप से नामांकन लेने की अनुमति दी जाती है-

1. BCA - 300 सीट (AICTE Approval जारी रहने तक)
2. BBA - 300 सीट (AICTE Approval जारी रहने तक)
3. BLIS - 60 सीट (अगले आदेश तक)
4. BJMC - 60 सीट (अगले आदेश तक)
5. Diploma in oriental librarianship - 60 सीट (अगले आदेश तक)
6. Accountancy for panchayati raj institution – 60 सीट (अगले आदेश तक)
7. Functional Arabic – 60 सीट (अगले आदेश तक)
8. Functional Persian – 60 सीट (अगले आदेश तक)
9. All certificate course - 60 सीट (अगले आदेश तक)

आपके संस्थान को नामांकन की यह औपबंधिक अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है-

1. यह मान्यता आवेदन में वर्णित अवापसी योग्य शुल्क के रूप में BLIS के लिए रू0 दो लाख एवं BCA एवं BBA के लिए रू0 एक-एक लाख अर्थात् कुल चार लाख जमा करने के पश्चात् ही प्रभावी होगी जो इस पत्र की निर्गत की तिथि से पन्द्रह कार्यदिवस के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के रूप में द्वारा जमा करनी होगी। बैंक ड्राफ्ट जमा करने के पश्चात् आपके संस्थान के साथ MoU किया जाएगा।
2. संस्थान में उक्त पाठ्यक्रम हेतु अलग खाता खोलकर हिसाब रखना होगा।
3. सभी पाठ्यक्रम शुल्क का 20% राशि विश्वविद्यालय में पंजीकरण शुल्क के साथ जमा करना होगा।
4. संस्थान द्वारा आवेदन में समर्पित किसी भी प्रकार की गलती/जाली पाए जाने पर यह अनुमति तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जाएगी।
5. सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का आधार, PAN, मोबाइल नं0, आवसीय साक्ष्य, शैक्षणिक योग्यता संबंधित साक्ष्य की अभिप्रमाणित छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
6. विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्ण सूचना के कभी भी औचक रूप से संस्थान का निरीक्षण कर सकती है।
7. BLIS हेतु Colon classification की 20 एवं DDC 19th Edition की 10 अदद मूल प्रति पुस्तकालय में अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य अनुशासित पुस्तक भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।
8. अपरोक्त में किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करने पर तत्काल मान्यता वापस ले ली जाएगी।
9. दो लगातार सत्र में नामांकन नही लेने पर यह अनुमति स्वतः वापस समझी जाएगी।
माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वोसभाजन

(डॉ० अनवरुल हक अंसारी)
कुलसचिव

